तथापि, इन प्रयोजनाओं को चलाने वाले गैर–सरकारी संगठनों/संगठनों को अल्जाइमर/मनोभ्रंश से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिवा देखभाल केंद्रों को सतत देखभाल गृहों की परियोजनाओं और अल्जाइमर/मनोभ्रंश से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए गृहों, जिनमें 20 सहवासी रहते हैं, में परिवर्तित करने का विकल्प होगा बशर्ते कि राज्य सरकार ने संगठन की क्षमता, परियोजना के स्थल आदि के बारे में विशिष्ट रूप से सिफारिश की हो और उसके संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया हो।

(iii) ग्रामीण, विलग और पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहे सचल मेडिकेयर यूनिटों का अनुरक्षण। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मलिन बस्तियों, ग्रामीण और अगम्य क्षेत्रों जहां स्वास्थ्य की उपयुक्त देखभाल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए परियोजना हेतु सहायता अनुदान दिया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने और उसमें सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करने तथा उसके लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना है।

प्रत्येक मेडिकेयर यूनिट प्रत्येक माह कम से कम 400 वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगा। प्रत्येक मेडिकेयर यूनिट इन क्षेत्रों (मलिन बस्तियों, ग्रामीण और अगम्य क्षेत्रों जहां स्वास्थ्य की उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं) में प्रतिमाह कम से कम दस बार दौरा करेगा।

इस परियोजना के अंतर्गत सहायता अनुदान उन एजेंसियों को प्रदान किया जाएगा जिनका वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने का एक विश्वसनीय ट्रैक रिकार्ड है। जिन संगठनों का वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रमाणिक ट्रैक रिकार्ड है, वे वित्त पोषण के लिए पात्र हैं। इस परियोजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम/चिकित्सा संस्थाएं/कालेज भी पात्र हैं। इन संगठनों को परिशिष्ट–III के अनुसार व्यय करने की अनुमति दी जाएगी।

इस परियोजना में नियुक्त स्टाफ के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हता और कर्त्तव्य निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम अर्हता और कर्त्तव्य
1	डॉक्टर	**अर्हता** – एमबीबीएस/बीएएमएस/बीएचएमएस **कर्त्तव्य** – डॉक्टर प्रतिमाह कम से कम 10 बार परियोजना का दौरा करेगा और प्रतिमाह कम से कम 400 वरिष्ठ नागरिकों की जांच करेगा। वह जब कभी भी आवश्यक होगा, उपलब्ध होगा।
2	नर्स	**अर्हता** – एग्जलरी मिड वाइफ (एएनएम) के रूप में अर्हता प्राप्त होना चाहिए और उसने किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी चिकित्सा संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। **कर्त्तव्य** – नर्स प्रतिमाह कम से कम 10 बार परियोजना का दौरा करेगी और प्रतिमाह कम से कम 400 वरिष्ठ नागरिकों की जांच करेगी। वह जब कभी भी आवश्यक होगा, उपलब्ध होगी।
3	ड्राइवर	**अर्हता** – 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की हो। उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। **कर्त्तव्य** – वह प्रति माह कम से कम दस बार और जब कभी आवश्यक होगा ड्यूटी करेगा।
4	आयोजक	**अर्हता** – कम से कम 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की हो और स्थानीय भाषा से भली भांति परिचित हो। **कर्त्तव्य** – सचल मेडिकेयर यूनिट के सभी दौरों जिसमें लॉजिस्टिक व्यवस्था शामिल है को

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम अर्हता और कर्त्तव्य
5	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)	**अर्हता** – 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की हो और उसे इस कार्य का कम से कम दो वर्ष अनुभव हो। **कर्त्तव्य** – चौकीदार, हेल्पर, क्लीनर के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा और जब भी आवश्यक होगा सहायता प्रदान करेगा।

(iv) **वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिजियोथैरेपी क्लीनिक** इस परियोजना के अंतर्गत सहायता अनुदान उन एजेंसि को दिया जाएगा जिनका प्रति माह कम से कम 50 वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिजियोथैरेपी क्लीनिक चलाने के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु परियोजनाओं को संचालित करने का विश्वसनीय ट्रैक रिकार्ड होगा।इस परियोजना अंतर्गत मान्यता प्राप्त धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम/चिकित्सा संस्थाएं/कालेज भी पात्र हैं। संगठन को **परिशिष्ट-** के अनुसार व्यय करने की अनुमति दी जाएगी।

इस परियोजना में नियुक्त स्टाफ के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हता और कर्त्तव्य निम्नानुसार हैं:–

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम अर्हता और कर्त्तव्य
1	फिजियोथैरेपिस्ट (पूर्णकालिक)	**अर्हता** – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथैरेपी में अपेक्षित डिग्री होनी चाहि **कर्त्तव्य** – डॉक्टर प्रति माह कम से कम 50 वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिदिन सेवाएं प्रदा करेगा।
2	फिजियोथैरेपी तकनीशियन	**अर्हता** – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथैरेपी में अपेक्षित डिप्लोमा हो चाहिए। **कर्त्तव्य** – कर्त्तव्यों में फिजियोथैरेपिस्ट की सहायता करना। विभिन्न किस्म की फिजियोथैरे में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करना (फिजियोथैरेपिस्ट के पर्यवेक्षण के अधीन) शामिल है वह प्रति माह कम से कम 50 वरिष्ठ नागरिकों को प्रति दिन सेवा प्रदान करेगा।
3	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)	**अर्हता** – 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की हो और उसे इस कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। **कर्त्तव्य** – चौकीदार, हेल्पर, क्लीनर के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा और जब कभी आवश्यक होगा सहायता प्रदान करेगा।

टिप्पणी: महिला वरिष्ठ नागरिक को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से फिजियोथैरेपिस्ट अथवा फिजियोथैरेपी तकनीशि दोनों में से कम से कम एक महिला होनी चाहिए।

(v) **क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रों का अनुरक्षण** – इस मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों के प्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) महत्वपूर्ण सहयोगी भागी होंगे। ये केंद्र क्लीयरिंग हाउस के रूप में कार्य करेंगे और क्षेत्रीय स्तर पर संसाधन केंद्र होंगे। इस मंत्रालय द्वारा वित्त पो इन केंद्रों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए किए जाने वाले व्यापक कार्यकलापों में निगरानी तकनीकी सहायता प्रदान करना, एडवोकेसी और नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल हैं। ये केंद्र राज्य सर के संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, स्कूलों और कालेजों, नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिटों, पंचा राज संस्थाओं आदि के साथ संपर्क करने के लिए कार्य करेंगे। इन संगठनों को **परिशिष्ट–V** के अनुसार व्यय करने अनुमति दी जाएगी।

लागत संबंधी मानदंडों में फिजियोथैरेपिस्ट/योगा/चिकित्सक आदि को दिया जाने वाला मानदेय शामिल है। इस परियोजना के लिए नियुक्त स्टाफ के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हता और कर्त्तव्य निम्नानुसार हैं:–

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम अर्हता और कर्त्तव्य
1	समन्वयक (पूर्णकालिक)	अर्हता समाज कार्य में स्नातक, ऐसे केंद्रों का प्रबंधन करने के लिए कम से कम तीन वर्ष की अवधि का अनुभव अथवा ऐसे केंद्रों को संचालित करने के लिए प्रदर्श क्षमता और कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान रखता हो। कर्त्तव्य – परियोजना का समग्र प्रभारी, वार्षिक कार्य–योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी, आरआरटीसी के मेंडेट को पूरा करना अर्थात डेटाबेस तैयार करना, अनुसंधान करना, आईईसी सामग्री को डिजाइन करना, आयोजना, परिवेक्षण करना एवं क्षमता निर्माण कैलेण्डर तैयार करना, एनजीओ की निगरानी करना, योजना के अंतर्गत अनुदानग्राही एनजी. ओ की सूची तैयार करना एवं कार्यान्वित करना, परस्पर बातचीत करना, परियोजनाओं की निगरानी करना, सुग्राहीकरण एवं जागरूकता पैदा करना। एक वर्ष में कम से कम 25 परियोजनाओं का निरीक्षण।
2	लेखाकार –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर (पूर्णकालिक)	अर्हता – लेखांकन के ज्ञान सहित स्नातक एवं कम्प्यूटर में काम करने का ज्ञान। कर्त्तव्य – लेखों का संकलन, कम्प्यूटर में डाटाबेस एवं सूचना एकत्र करना, रिकॉर्ड और फाइलों का रख–रखाव, प्रशिक्षणार्थियों, रिसोर्स व्यक्तियों, लाभार्थियों तथा गैर–सरकारी संगठनों के रिकॉर्ड का रख–रखाव।
3	सपोर्ट स्टाफ (2) (पूर्णकालिक)	अर्हता – 10वीं पास अवश्य होना चाहिए और उसे कम्प्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए। कर्त्तव्य – परियोजना के रिकॉर्डों का फिजिकल रख–रखाव, परियोजना कार्यालय की सामान्य साफ–सफाई एवं रख–रखाव, अन्य गैर–लिपिकीय कार्य, अन्य स्टाफ के नेमी कार्यालयीय कार्य में सहायता देना जिसमें बुनियादी कम्प्यूटर कार्य, पोस्टेज, रजिस्टरों का रख–रखाव, अनुवर्ती कार्य एवं समग्र प्रासशनिक सहायता प्रदान करना शामिल हैं।

(vi) **राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति (एनपीएससी) के उपबंधों के कार्यान्वयन सहित अन्य कोई कार्यकलाप, जिसे योजना के उद्देश्य को पूरा करने में उपयुक्त माना जाए** पात्र एजेंसियों/संस्थानों/संगठनों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पात्रता अनुसार, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और सहायता की मात्रा का निर्धारण मंत्रालय द्वारा मामला–दर–मामला आधार पर हर बार किया जाता है। **(परिशिष्ट–VI)**

(vii) जिन परियोजना–प्रकारों को ड्रॉप करने अथवा किसी अन्य कम्पोनेंट के साथ विलय करने अथवा राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान को अंतरित करने का प्रस्ताव है, उनकी स्थिति **परिशिष्ट–VII** पर देखें।

5. परियोजना को सहायता की सीमा

(i) योजना में विनिर्दिष्ट परियोजना की लागत का 90% भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और बाकी संबंधित संगठन/संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/पंचायती राज संस्थान/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित की जा रही परियोजनाओं के मामले में 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(iii) इसी प्रकार, स्कूलों, कालेजों, शिक्षण संस्थाओं और पंजीकृत युवा संगठनों जैसे नेहरू युवक केंद्र संगठन राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.), वृद्धजनों के लिए कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं के माम योजना में विनिर्दिष्ट परियोजना लागत का शत–प्रतिशत तक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

6. कार्यान्वयन एजेंसिया

इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित एजेंसियों को सहायता स्वीकृ जाएगी:–

i. पंजीकृत सोसाइटियों/पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/स्थानीय निकायों के माध्यम से आईपीएससी यो के अंतर्गत, यथा–संभव अस्पतालों के परिसरों में, परियोजनाओं को सहायता देने के लिए राज्य सरकारों/संघ र प्रशासनों को अग्रता प्रदान की जाएगी।

ii. गैर–सरकारी स्वैच्छिक संगठन।

iii. सरकार द्वारा स्वायत्त/अधीनस्थ निकायों के रूप में स्थापित संस्थाएं अथवा संगठन

iv. सरकारी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाएं, धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम और नेहरू युवक केंद्र संगठन (एन.वाई एस.) जैसे मान्य युवा संगठन।

7. इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए गैर–सरकारी स्वैच्छिक संगठनों हे पात्रता मानदंड

(i) गैर–सरकारी स्वैच्छिक संगठन को एक उचित अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय होना चा ताकि इसे कारपोरेट स्तर और कानूनी रूप प्राप्त हो जाए तथा इसके कार्यकलापों के लिए एक समूह दा स्थापित हो।

(ii) यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 अथवा संगत राज्य सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनिय अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए और कम से कम दो वर्ष से कार्यशील हो अथवा तत्समय लागू किसी का के अंतर्गत पंजीकृत कोई सार्वजनिक ट्रस्ट अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त ध कंपनी।

न्यूनतम दो वर्ष कार्य करने का मानदण्ड राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मामले में लाग होगा। राज्य सरकारें यथा संभव अस्पतालों के परिसरों में परियोजनाएं स्थापित करने की संभाव पता लगा सकती हैं। इसी प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू–कश्मीर, रेगिस्तानी क्षेत्रों एवं अल्प सेवित क्षेत्रों प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के मामले में, दो वर्ष की यह शर्त लागू नहीं होगी।

(iii) संगठन का सुव्यवस्थित ढंग से गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए और लिखित संविधान में इसकी शा कर्त्तव्यों और दायित्वों का सुस्पष्ट एवं सुपरिभाषित निर्धारण होना चाहिए। इसकी उपयुक्त प्रशासनिक स और विधिवत गठित प्रबंध/कार्यकारी समिति हो।

(iv) संगठन को इसके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलाया एवं नियंत्रित किया जाता है।

(v) संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य तथा इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम का स्पष्ट वि